न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी– गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– डिक्री 378 सन् 2016

पंजीयन दिनांक :– 22.09.2016

अनवान

शांति बाई पत्नी जमना पुत्री कालु जाति तेली निवासी तुम्बडिया हाल निवास बोलो का सावंता तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ

–अपीलांट

विरूद्ध

1. जमनालाल पिता कजोड जाति तेली निवासी तुम्बडिया तहसील गंगरार
2. देवीलाल पिता कजौडी जाति तेली निवासी तुम्बडिया तहसील गंगरार
3. रामीबाई पुत्री कजौड जाति तेली निवासी तुम्बडिया तहसील गंगरार
4. लाडदेवी पुत्री जमनालाल पिता कजौड जाति तेली निवासी तुम्बडिया तहसील गंगरार
5. सोमादेवी पुत्री जमनालाल पिता कजोड जाति तेली निवासी तुम्बडिया तहसील गंगरार
6. कालु पिता नन्दा जाति तेली निवासी तुम्बडिया तहसील गंगरार
7. भगवानी पत्नी देवीलाल जाति तेली निवासी तुम्बडिया तहसील गंगरार
8. विमला पत्नी जमनालाल जाति तेली निवासी तुम्बडिया तहसील गंगरार
9. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार प्रकरण संख्या 42/2016 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2016

उपस्थित– 1. आर.के. राजोरा – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 9

निर्णय **दिनांक :– 13.04.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट वादीया ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 88,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तुम्बड़िया के खसरा नम्बर 642 रकबा 0.50 है., खसरा नम्बर 29/1661 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

115/1552 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 117 रकबा 0.21 है., खसरा नम्बर 119 रकबा 0.19 है., खसरा नम्बर 115 रकबा 0.30 है., खसरा नम्बर 861 रकबा 0.41 है., खसरा नम्बर 862 रकबा 0.67 है. रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पति होकर वर्तमान में अन्य सहखातेदारान की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट वादिया रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की विवाहिता पत्नी है तथा अपने पति द्वारा घर से निकाल दी गई है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 ने लगभग 25 वर्षो पूर्व से एक औरत अपने घर में रख रखी है जिससे दो पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 4 व 5 पैदा हुई है। अपीलांट वादिया उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर अपना जीवन बसर कर रही है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अन्य सहखातेदारान की सहखातेदारी में दर्ज उपर्युक्त कृषि आराजीयात में अपीलांट वादिया के पक्ष में हिस्सेनुसार सह खातेदार की खातेदारी घोषणा की डिक्री प्रदान की जावें तथा अपने हिस्से में आये भू-भाग पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे/करावें इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त पत्रावली दिनांक 07.07.2016 को कैम्प कोर्ट तुम्बडिया में नियत की गई। पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रकरण विचारण न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होना मानते हुए वादपत्र निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादिया ने प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की।

अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 9 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्ट वादिया ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया।

न्यायहित मे अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता अपीलान्ट वादिया ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट वादीया ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तुम्बड़िया की कृषि आराजीयात जो प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पति होकर वर्तमान में अन्य सहखातेदारान की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट वादिया रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की विवाहिता पत्नी है तथा अपने पति द्वारा घर से निकाल दी गई है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 ने लगभग 25 वर्षो पूर्व से एक औरत अपने घर में रख रखी है जिससे दो पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 4 व 5 पैदा हुई है। अपीलांट वादिया उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर अपना जीवन बसर कर रही है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अन्य सहखातेदारान की सहखातेदारी में दर्ज उपर्युक्त कृषि आराजीयात में अपीलांट वादिया के पक्ष में हिस्सेनुसार सह खातेदार की खातेदारी घोषणा की डिक्री प्रदान की जावें। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारों को बिना किसी सूचना के उक्त पत्रावली दिनांक 07.07.2016 को कैम्प कोर्ट तुम्बडिया में नियत की गई। पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रकरण विचारण न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होना मानते हुए वादपत्र निरस्त कर दिया गया। प्रकरण में अपीलांट वादिया को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया न ही रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी कर तामिल कराये गये। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना किये बिना प्रथम पेशी पर ही जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2016 विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलांट वादिया स्वीकार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 9 प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्म्त होना बताते हुए अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस रेस्पोडेन्ट सं 1 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

हमने उपस्थित उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट वादीया ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तुम्बड़िया की कृषि आराजीयात जो प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पति होकर वर्तमान में अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहखातेदारान की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट वादिया रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की विवाहिता पत्नी है तथा अपने पति द्वारा घर से निकाल दी गई है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की अन्य पत्नी से दो पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 4 व 5 पैदा हुई है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि आराजीयात में अपीलांट वादिया के पक्ष में हिस्सेनुसार सह खातेदार की खातेदारी घोषणा की डिक्री जारी की जावे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद अपने क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का मानते हुये वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारों को बिना किसी सूचना के उक्त पत्रावली दिनांक 07.07.2016 को कैम्प कोर्ट तुम्बडिया में नियत की गई। प्रथम सुनवाई तिथि को ही पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रकरण विचारण न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होना मानते हुए वादपत्र निरस्त कर दिया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी कर तामिल नही कराये गये। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना किये बिना प्रथम पेशी पर ही निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये। हमारे विनम्र मतानुसार वाद पत्र श्रवणार्थ ग्रहण कर लिये जाने पर सिविल प्रकिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए गुणावगुण पर ही प्रकरण निस्तारित किया जाना विधिसम्मत है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी वादिया को अपना पक्ष रखने व सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के प्रतिकूल है इसलिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उक्त विवेचनानुसार विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलांट वादिया स्वीकार योग्य होकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट वादिया स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार के प्रकरण संख्या 42/2016 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2016 निरस्त किये जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 24.05.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

13/4/2023.

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)